


Simeen Garden, T- 103



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

W 510876

F-11.1

मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम २००० की धारा २ के अंतर्गत
घोषणा—पत्र

यह कि, घोषणाकर्ता सिमरन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर (1) श्री कंवलजीतसिंह भाटिया पिता श्री अमरजीतसिंह भाटिया निवासी १९-ए, प्रेम नगर माणिकबाग रोड, इंदौर म०प्र० (2) श्री गुरदीपसिंह भाटिया पिता श्री हरबंससिंह भाटिया निवासी ११९, रानीबाग खण्डवा रोड, इंदौर म०प्र० (जिन्हें इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से घोषणाकर्ता भूमिस्वामी के नाते से संबोधित किया गया है) घोषणाकर्ता भूमिस्वामी एतद द्वारा यह कथन करते हैं कि :-

(1) यह कि, घोषणाकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखंड ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लिम्बोदी तहसील व जिला इंदौर यहाँ विकसीत कॉलोनी "न्यू रानीबाग" यहा स्थित भूखंड क्रमांक ए-६ है। सदर भूखंड घोषणाकर्ता ने श्रीमती किरण पति श्री रामलालजी परमार तर्फे आम मुख्यायर श्री राकेश पिता श्री लक्ष्मणदासजी चावला से रजि. विक्रय-पत्र क्रमांक १३/५१० दिनांक ०७-०६-२०१२ के जरिये क्रय किया है। सदर

अविरत.....2.

*J. Bhawani Singh
Atala*

2832

19 OCT 2012

1/- - 100/- रुपये

~~सिमरन यात्रा द्वारा लिखा गया है।~~
~~दूला जीत को भाटी। 60 रुपये भी भाटी।~~
~~वारी 19.0.2012 तक 500 रुपये~~
~~दूला भाटी का~~

अमर शिंह

दूला जीत

3. ए. ए. ए. ए. इन्डिया
लि. 576, उषानगर एसटेशन, ब्रह्मपुर

मुद्राक अधिनियम के अंतर्गत मुद्राक शुल्क
मगर नियम अधिनियम के अंतर्गत मुद्राक शुल्क
मंजरी अधिनियम के अंतर्गत मुद्राक शुल्क
उपकर अधिनियम के अंतर्गत मुद्राक शुल्क	100/-
अतिरिक्त मुद्राक शुल्क
अधिक स्टाम्प
गोग
	2/100/-

उपर्युक्त
उप-जिला, इन्दौर - 2



उत्तराखण्ड/राज्य नं. 1401 अमरपुर/राज्य

के द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा - 2,
जिला इन्दौर के उप-प्रशासन के
कार्यालय में सारीस 29/12/12
को म.पू/म.प. 2/100
प्रस्तुत किया गया।

उपर्युक्त
उप-जिला, इन्दौर - 2

भूखंड की चौड़ाई 46.1 फीट व लंबाई 80 फीट होकर भूखंड का कुल क्षेत्रफल 3684 वर्गफीट अर्थात् 342.37 वर्गमीटर हैं। सदर भूखंड की चतुर्सीमा निम्नानुसार हैं :—

पूर्व में	भूखंड क्रमांक बी-6
पश्चिम में	रोड़
उत्तर में	भूखंड क्रमांक ए-5
दक्षिण में	भूखंड क्रमांक ए-7

(2) यह कि, उपरोक्त वर्णित भूखंड पर विकास करने बाबद कार्यालय ग्राम पंचायत, लिम्बोदी से नक्शा स्वीकृत (भवन अनुज्ञा-पत्र क्रमांक 5/33 दिनांक 16-03-2010) करवाकर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया है। जिसका नाम "सिमरन गार्डन-2" रखा गया है। इस भवन के संबंध में घोषणाकर्ता मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 की धारा 2 के अंतर्गत यह लेख निष्पादित कर रहे हैं :—

(3) यह कि, उक्त भवन में तल मंजिल, प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, तृतीय मंजिल एवं टेरेस फ्लोर है। तलों का अलग-अलग रूप भागों में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि उनका अपना एक ऐसा निर्गम मार्ग है, जहां से भवन के सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधा से पहुंचा जा सकता है, और प्रत्येक प्रकोष्ठ एक या एक से अधिक स्वामियों को सुविधानुसार अलग अलग भागों में विक्रय किये जायेंगे और उसमें प्रत्येक स्वामियों को उसका विशिष्ट तथा अन्य संपत्ति अधिकार, अधिप्राप्ति तथा प्रत्येक प्रकोष्ठ जिसे इसमें इसके पश्चात इकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। राज्य के तत्समय प्रवत्त किसी भी विधी की अर्थान्तर्गत दाय योग्य तथा हस्तांतरणीय स्थावर संपत्ति होगा। इस लेख के साथ भवन के चढ़ाव, पैसेज एवं भवन की पानी की मोटर बोरिंग, पानी की टंकी, इत्यादि समस्त प्रकोष्ठ होल्डर के सामूहिक उपयोग एवं उपभोग हेतु रहेंगे, जिसका मेन्टेनेंस सभी प्रकोष्ठधारी सामूहिक रूप से करेंगे। निर्बन्धित सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाओं पर समस्त इकाइयों को अविभाजित हित भी अभिप्राप्त होगा और उपर्युक्त सभी बातें मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के अनुसार होगी, इस अधिनियम की प्रत्येक शर्त उपरोक्त भवन की प्रत्येक प्रकोष्ठधारियों को मान्य होकर उस पर बंधनकारक होगी। सदर भवन की आखरी मंजिल की छत घोषणाकर्ता की रहेगी, एवं भविष्य में बिल्डिंग परमीशन मिलने पर घोषणाकर्ता भवन निर्माण कर सकेंगे।

(4) यह कि उपरोक्त भवन का निर्मित एरिया (सुपर बिल्ट अप एरिया) चरण क्रमांक पाँच में दर्शाये सुपर बिल्टप के अनुसार होगा इस एरिये में सदर भवन के कामन पैसेज, चढ़ाव इत्यादि का एरिया भी सम्मिलित है।

अविरत.....3.

(5) यह कि उपरोक्त भवन की इकाईया तथा सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं निम्नानुसार होगी :-

(अ) यह कि, तल मंजिल पर पार्किंग रहेगी एवं 2 प्रकोष्ठ (जी-1 एवं जी-2), प्रथम मंजिल पर 5 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक 101 से 105), एवं द्वितीय मंजिल पर 5 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक 201 से 205), तृतीय मंजिल पर 5 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक 301 से 305) एवं टेरेस फ्लोर पर 1 प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ क्रमांक पी-1), है।

प्रत्येक इकाई में विद्युत संयोजन एवं नल हेतु प्लाइट उपलब्ध होगें इन इकाईयों का वर्णन इसके नीचे दिया गया है। सभी इकाई के माप में सभी बाहरी दिवाले तथा आदि ब्लाक विभाजक दिवाल सम्मिलित हैं।

प्रत्येक इकाई में सुपर बिल्टप निम्नानुसार रहेगा :-

टाइप क्रमांक 1 तल मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक जी-1

885 वर्गफीट
845 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 2 तल मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक जी-2

875 वर्गफीट
875 वर्गफीट
850 वर्गफीट
850 वर्गफीट
500 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 3 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 101

875 वर्गफीट
875 वर्गफीट
850 वर्गफीट
850 वर्गफीट
500 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 4 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 102

टाइप क्रमांक 5 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 103

टाइप क्रमांक 6 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 104

टाइप क्रमांक 7 प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 105

टाइप क्रमांक 8 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 201

875 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 9 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 202

875 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 10 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 203

850 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 11 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 204

850 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 12 द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 205

500 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 13 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 301

875 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 14 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 302

875 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 15 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 303

850 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 16 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 304

850 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 17 तृतीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 305

500 वर्गफीट

टाइप क्रमांक 18 टेरेस फ्लोर का प्रकोष्ठ क्रमांक पी-1

1200 वर्गफीट + ओपन टेरेस

टाइप क्रमांक 19 टेरेस फ्लोर का प्रकोष्ठ क्रमांक पी-2

1200 वर्गफीट + ओपन टेरेस

कुल 19 प्रकोष्ठ

(ब) समिलित क्षेत्र तथा सुविधाएँ :-

- (क) इस विलेख के पहले पेरा में उल्लेखित भूमि-खण्ड
 (ख) संपूर्ण भवन में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं :-
 (1) भवन की तल मंजिल एवं छत पर पानी की टंकी
 (2) तल मंजिल पर बोरिंग रहेगा जिसका उपयोग सभी प्रकोष्ठधारी कर सकेंगे जिसमें किसी का भी एकाधिकार नहीं रहेगा तथा भविष्य में उसका रखरखाव भी इनके द्वारा मिलकर वहन किया जावेगा ।
 (3) पार्किंग स्पेस - तल मंजिल पर है ।

यह कि, प्रत्येक प्रकोष्ठ के संबंध समिलित क्षेत्रों तथा सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत किसी भी रूप में घोषणा की तारीख को भारग्रस्त नहीं है ।

(6) यह कि, सहस्वामित्व भवन (कंडोमेनियम) जिसमें इस विलेख के पहले तथा पांचवे पेरा में वर्णित भवन तथा भूमि-खण्ड समिलित है, का प्रशासन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगा ।

(7) यह कि उपर दर्शाये अनुसार प्रत्येक स्वामित्व की एक योजना तैयार की गई है ताकि वे सभी तलों को आवासीय इकाईयों को स्वतंत्र रूप से उपयोग किये जाने योग्य व्यक्तिगत संपत्तियों के रूप में हस्तांतरित तथा रजिस्ट्रीकृत किया जा सकें, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का भवन का समिलित क्षेत्र तथा सुविधा तक जाने का अपना अलग निर्गम द्वारा है, प्रत्येक आवासीय ईकाइयों के स्वामियों का उसकी अपनी संबंधित आवासीय इकाई पर अन्य तथा विशिष्ट, अधिकार, हक्क और हित है तथा इसके अतिरिक्त समिलित क्षेत्रों एवं सुविधाओं में विनिर्दिष्ट अविभाजित हित है ।

(8) यह कि, समिलित क्षेत्र तथा सुविधाएँ अविभाजित रहेगी और कोई भी स्वामी उनके बंटवारे या विभाजन के लिये कोई कार्यवाही नहीं करेगा ।

(9) यह कि, चरण क्रमांक 5 में अलग अलग प्रकोष्ठ का सुपर बिल्टप एरिया दर्शाया गया है परन्तु मौके पर निर्माण कार्य के समय सुपर बिल्टप क्षेत्रफल कम या ज्यादा होता है तो प्रकोष्ठ धारियों को रजिस्ट्रीयां उस क्षेत्रफल के अंतर्गत सुपर बिल्टप अथवा बिल्टप की कर दी जावेगी ।

(10) यह कि, सामान्य तथा या निर्बन्धित समिलित क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित उस आवासीय इकाई से पृथक नहीं किया जावेगा जिससे की यह अनुलग्न हो और ऐसा हित, भले ही वह किसी भी हस्तांतरण पत्र या अन्य लिखित अभिव्यक्त रूप से उल्लेखित या वर्णित न हो उस आवासीय इकाई को हस्तांतरित या भारग्रस्त समझा जावेगा ।

(11) यह कि, यदि संपत्ति पूर्णतः या सारभूत रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जावें तो संपत्ति की मरम्मत पूर्ण निर्माण या व्ययन समस्त प्रकोष्ठधारियों को मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में उपबंधित रूप में किया जावेगा ।

(12) यह कि, उपरोक्त प्रकोष्ठ भवन के समस्त स्वामी मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत एक संस्था का गठन करेगें । तथा ऐसी संस्था का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के यहां करवायेंगे ।

(13) यह कि, यह घोषणा पत्र सदर भवन के भू-स्वामियों ने सदर भवन को प्रकोष्ठ धारियों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर यथा युक्त सावधानी पूर्वक तरीके से निष्पादित कर दिया है फिर यदि सदर भवन के संबंध में कोई आवश्यक तथ्य जोड़ने होंगे या विलोपित करना होंगे तो घोषणाकर्ता आवश्यकतानुसार संशोधन लेख या अनुपूरक लेख निष्पादित कर सकेंगे ।

यह विलेख घोषणाकर्ता ने अच्छी तरफ पढ़कर समझकर, पूर्ण होश हवास में निष्पादित कर दिया है ताकि सनद रहें व वक्ता जरूरत काम आवें । इति ।

इंदौर, दिनांक :

साक्षीगण :- २७/१२/२०१२

हस्ताक्षर - घोषणाकर्ता

1. साक्षीगण :- अमृत बहुंद मिश्र,
नाम : अमृत बहुंद मिश्र, निवास
पता : ५३२ विष्णुपुरा

1. हस्ताक्षर

2. साक्षीगण :- रमेश राज कुमार की अधीक्षा
नाम : रमेश राज कुमार की अधीक्षा
पता : ९८८ पुणे

2. हस्ताक्षर

शास्त्र
① Sandeep

संगीप पाण्डित S/O नरेन्द्र पन

M-210 Kharji Civil Bank Encl-

②

अमृत बहुंद मिश्र (११२)
पिंड उदयपाल (११२)
बृंदा चौधरी पोखरेल (११२)
मुमुक्षु भट्ट भट्ट (११२)

कार्यालय : ग्राम पंचायत लिम्बोदी

जनपद पंचायत इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक ५/३३



दिनांक . १.६.०३।.१८.

प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत के पास श्री/श्रीमती किरण परमार

प्रिता/पति श्री रामलाल परमार निवासी ^{५१} गावशिंदे, रत्नगंगा का आवेदन-पत्र⁵¹
आने पर यह प्रमाणित किया जाता है कि

आवेदक का स्वयं का निजी आवासीय भूखण्ड क्र..... A - 6

..... रमलाल! ? कॉलोनी ग्राम लिम्बोदी में स्थित है।

उक्त भूखण्ड पर आवेदक आवासीय भवन का निर्माण करना चाहता है।

निम्न प्रतिबंधों के साथ मानचित्र स्वीकृत किया जाता है।

(1) समस्त शासकीय नियमों/उपनियमों का पालन करें। (2) निर्माण करते समय 30% खुली भुमि छोड़े एवं वृक्षारोपण करें।
(3) निर्माण करते समय रोड से ^{५४} फिट अन्दर ही पक्का निर्माण कार्य करें। (4) भवन की ऊँचाई ^(१५) १०/१२ मि. से अधिक न रखें।

इस बाबत का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है।

संस्करण
ग्राम पंचायत लिम्बोदी.
जनपद पंचायत, इन्दौर

नोट: यह प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी के अनुसार जारी किया गया है। असत्य जानकारी देने
एवं प्रमाण पत्र का अनुचित उपयोग करने का उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुतकर्ता का होगा।